न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 307/2019

वादी:–

प्रेमाराम पुत्र स्व. श्री नाथुराम, जाति गवारिया, निवासी ईषरू, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. बाबुराम पुत्र स्व. श्री नाथुराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 रामेश पुत्र स्व. श्री बाबुराम
   1/2 घनष्याम पुत्र स्व. श्री बाबुराम
   1/3 पुष्पा पुत्री स्व. श्री बाबुराम
   1/4 संगीता पुत्री स्व. श्री बाबुराम
   1/5 पिंकू पुत्री स्व. श्री बाबुराम
   1/6 धर्मेन्द्र पुत्र स्व. श्री बाबुराम
   1/7 कविता पुत्री स्व. श्री बाबुराम
   प्रतिवादी संख्या 1/5 से 1/7 नाबालिक वली भाई श्री रामेष पुत्र स्व. श्री बाबुराम
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– अधिवक्ता श्री नैनाराम विश्नोई

प्रतिवादीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री [illegible] भाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

निर्णय

दिनॉक 23.10.2019

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से वादपत्र इस आषय का पेष किया कि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम ईसरू के खेत खसरा नम्बर 507 रकबा 72 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी की प्रति पेष की उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी के पिता नाथूराम पि. सांवताराम का तथा 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादी के पिता श्री नाथूराम फौत हो चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बाबुराम भी फौत हो चुके है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेष की वादी के पिताजी फौत होने पर वादी का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसानों का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार कब्जा काष्त चले आ रहे है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता द्वारा खरीद की गई थी जिसका बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय फलोदी में 14.02.1983 को पंजीबद्ध किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि खरीद करते वक्त वादी के घरेलु बोलचाल की भाषा का नाम भंवरूराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बाबूलाल दर्ज करवा दिये गये। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेमाराम है तथा वादी के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल टी.सी. भामाषाह कार्ड में भी नाम प्रेमाराम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वास्तविक नाम बाबुराम है तथा सभी दस्तावेजों में भी बाबुराम दर्ज है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भंवरलाल के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र नाथुराम व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बाबुलाल के स्थान पर बाबुराम दर्ज करवाना चाहता है। जिससे वादी को अपने हक हिस्से की भूमि में विकास कार्य करवाने में समस्या न हो। वादी व प्रतिवादी के आधार कार्ड राषन कार्ड परिचय पत्र आदि की फोटो प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का गलत नाम के स्थान पर सही नाम दर्ज करना आवष्यक है। इसलिए मजबूरन वादी को माननीय न्यायालय हाजा में घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती का वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अन्त में वादी द्वारा ईस्तदुआ चाही कि वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ईषरू तहसील बापिणी के खेत खसरा नम्बर 507 रकबा 72 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम भंवरलाल पुत्र नाथूराम के स्थान पर प्रेमाराम ... का नाम सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेष सादिर फरमाया जावें। वादी द्वारा उक्त वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, फलोदी

Scanned by CamScanner

के साथ शपथपत्र पेष किया गया तथा धारा 80 (2) सी पी का प्रार्थना पत्र पेष किया गया।

वादीगण का उक्त वादपत्र पेष होने के पष्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा व जबाब दावा पेष किया व वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया गया । चूंकि उक्त वादपत्र रेकर्ड दुरूस्ती से सम्बधित था जिससे आवष्यक पक्षकार तहसीलदार बापिणी से जबाब तलब किया जाना आवष्यक था जिस पर प्रतिवादीगण सख्या 02 की ओर से जबाब दावा इस आषय का पेष किया कि खसरा सख्या 507 रकबा 72 बीघा 15 बिष्वा बाबुलाल भवरलाल से पिता नाथुराम हिस्सा 1/4 दर्ज है जिसका अन्य सम्पूर्ण दस्तावेजो में नाम बाबुराम व प्रेमाराम पुत्र श्री नाथुराम जाति गवारिया है इसलिए उक्त नाम त्रुटि सुधार की अनुसंषा की ।

उक्त स्वीकृत जबाब पेष होने के पष्चात उभय पक्षकारो के मध्य कोई विवाद्यक नही होने से तनकी कायम नही कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु मुकर्र रखी गई तथा वादी की ओर से गवाह पी डब्लू 01 प्रेमाराम का शपथपत्र पेष किया गया जिससे प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नही की गई । तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को प्रदर्ष 01 से 12 तक करवाए गए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादपत्र का खण्डन किसी भी प्रतिवादीगण की ओर से नही किया गया है इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह पाया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में जोंधसिह दूलसिह पिसरान श्री कल्याणसिह के नाम थी जिनके द्वारा बेचान दिनॉक 14.02.1983 को किया गया जिसमें खरीददार 1/2 हिस्सा नाथुराम व 1/2 हिस्सा बाबुलाल व भवरूराम पुत्र श्री नाथुराम अंकित है। इस प्रकार से बेचाननामा में सहवन से घरेलू बोलचाल ... का उल्लेख किया गया है तथा वादपत्र की पत्रावली ... है जिसमें वादीगण का शुद्व नाम ... बाबुराम अंकित है जो सुधार किया जाना उचित है। अत वादी का वा... स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:36 IST
Reason: SelfAttested

नायक कलेक्टर, बापिणी

Scanned by CamScanner

आदेश

अत वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती की डिकि इस आषय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्रम ईसरू के खसरा सख्या 507 रकबा 72 बीधा 15 बिष्वा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादीगण सख्या 01 को 1/2 हिस्से खातेदार काष्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बाबुलाल के स्थान पर बाबुराम व भंवरलाल के स्थान पर प्रेमाराम नाम अंकित किए जाने का आदेष दिया जाता है तथा उक्त वादी व प्रतिवादी के पिता नाथुराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी है।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

निर्णय आज दिनाक 23/10/19 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner